फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

खुमराज पिता रामसुख कुमावत निवासी पंचदेवला (सरलाई) पोस्ट सुखवाडा

बनाम

श्रीमति लेहरी बाई पत्नि सुरेश कुमावत निवासी सरलाई पोस्ट सुखवाड़ा वगैरा

प्रकरण संख्या 47/2015 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.03.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष आज भी बावजूद सूचना अनुपस्थित। रूक–रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। उभय पक्ष प्रकरण में दिनांक 11.09.2024 से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। उभय पक्ष को पेशी दिनांक 23.01.2025 पर अनुपस्थित रहने पर न्यायहित में अन्तिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर अनुपस्थित रहने पर कोई अवसर देय नहीं होकर पत्रावली खारिज कर दी जावेगी फिर भी उभय पक्ष तथा उनके अधिवक्ता आज भी उपस्थित नहीं हुए हैं अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। पुनः न्यायालय समय में रूक–रूक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष तथा उनके अधिवक्ता में से कोई भी उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ संबंधित को मय उनके द्वारा प्रेषित अभिलेख के प्रेषित की जावे।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official